

२३ नं

परावली पेश हुई कबील जहाँ उपस्थित नहीं
स्वयं जहाँ भी धरि नहीं हो कबील जहाँ की
कक-२ का आवाने लगाई गयी। उपस्थित
नहीं द्वारा लिखल जहाँ न्यत्र जहाँ कबील
जहाँ की अफ दलरी अफ पैली में खाकि
किता जाता है। तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में
जारी अस्वामी निवेधाना दिनांक १०.०९.२०२३ की
निरस्त किता जाता है। परावली कैसली में गुप्त
दोकर मूल वाट सेलक रहे।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

